कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना ,1976

बीमा योजना, 1976 एक नजर में

1. बीमा योजना 1.8.1976 से लागू की गई है तथा भविष्य निधि का प्रत्येक सदस्य चाहे छूट प्राप्त भविष्य निधि का सदस्य हो, स्वयमेव बीमा योजना का सदस्य बना हुआ माना गया है।
2. इस प्रकार का अंशदान केवल नियोक्ता द्वारा दिया जाता (0.5% की दर से, जिस पर भविष्य निधि देय हो) प्रशासनिक प्रभारों की दर वर्तमान में 0,01% है। इससे पूर्व यह 0,1% सितंबर, 1987 तक थी।
3. बीमा लाभ भविष्य निधि खाते में जमा राशियों के औसत के बराबर दिया जाता है। फरवरी , 1990 तक सदस्य की मृत्यु माह के पिछले माह से गिने जाने वाले 36 माह के औसत शेष के बराबर देय था जो ` 1000/-से के कम होने पर देय नहीं था तथा अधिकतम ` 10,000/- देय था। 1.3.1990 से 31.3.1992 तक बारह माह का औसत शेष, जो `500/-के कम होने पर देय नहीं है तथा ` 15000/- से अधिक हो तो, रुपए 15000/-तथा 15000/- से अधिक शेष का 25% लेकिन कुल राशियाँ रुपए 25000/- से अधिक देय नहीं है। 1.4.1993 से पैरा 22 (1) के विद्यमान प्रावधान लागू किए गए हैं न्यूनतम औसत जमा की सीमा समाप्त कर दी गई है।
4. बीमा लाभ सदस्य की सेवाकाल में मृत्यु होने पर ही देय है। बीमारी , हड़ताल , अवकाश तालाबंदी आदि के दौरान हुई मृत्यु मानी जाती है।
5. बीमा लाभ उन्हें ही देय है जिन्हें मृत्यु की दशा में भविष्य निधि की जमा राशियाँ देय होती है। इससे भिन्न स्थिति नहीं बनती है।

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना , 1976

दिनांक-28.7.1976

जी एस आर 488 (ई) – कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19वां)

की धारा 6-सी के द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए , केंद्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित योजना बनती है , यथा –

प्रारंभ

1. नाम संक्षेप , प्रारंभ व लागू होना (1) इस योजना को कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना , 1976 के नाम से जना जाएगा।
2. इस योजना के प्रावधान पहली अगस्त , 1976 से प्रभावी होंगे।
3. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम रहते हुए , यह योजना उन सभी कारखानों और संस्थानों (जिन पर उक्त अधिनियम लागू होता है) , के कर्मचारियों पर लागू होगा ;

परंतु, इस योजना के प्रावधान आसाम राज्य में स्थिति चाय के कारखानों पर लागू नहीं होंगे।

2. परिभाषायेँ – जब तक अन्यथा संदर्भ न हो , इस योजना में –

(ए) ' अधिनियम का तात्पर्य है कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 वां अधिनियम)

(बी) बीमा लाभ का तात्पर्य है , वीएच भुगतान जो कर्मचारी के भ्वइशी निधि खाते में जमा शेष का औसत , जो निधि का सदस्य रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार से संबंधित या अन्यथा व्यक्ति को देय हो।

(सी) अन्य सभी शब्दों एवं वाक्यांशों का जिनको यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है , का वही अर्थ है जो उन्हें क्रमश: अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना , 1952 मेन दिया गया है।

3. योजना का प्रशासन : - अधिनियम की धारा 5-ए के अंतर्गत गठित केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस योजना का प्रशासन (संचालन) किया जाएगा।

4. क्षेत्रीय समिति : - कर्मचारी भविष्य निधि योजना , 1952 के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत स्थापित क्षेत्रीय समिति इस योजना के प्रशासन संबंधी मामलों में , जो केंद्रीय बोर्ड इसे सुपुर्द करें , केंद्रीय बोर्ड को सलाह देगी, तथा खासतौर पर –

(ए) अधिनियम के अंतर्गत आवृत कारखानों तथा संस्थानों और अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त कारखानों और संस्थानों से इस योजना के अंतर्गत अंशदान की वसूली की प्रगति ; तथा

(बी) अदालती मामलों के शीघ्र निपटान के संबंध में।

5. केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विधिक शक्तियों के अधिकार देना –(1) केंद्रीय बोर्ड , प्रस्ताव पारित करके इसके अध्यक्ष या आयुक्त को उनके द्वारा किसी एक मद में व्यय , जो योजना के प्रशासन

के आवश्यक हो , ऐसे प्रस्ताव में उल्लिखित सीमाओं के अधीन रहते हुए बजट प्रावधानों के अंदर-अंदर आकस्मिक आपूर्ति तथा वस्तुओं के क्रय के लिए स्वीकृत की शक्ति अध्यक्ष या आयुक्त दोनों को दे सकेगा।

(2) केंद्रीय बोर्ड अपने प्रस्ताव द्वारा अधिनियम की धारा 5-डी की उपधारा (2) तथा (3) में उल्लिखित , अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा इस योजना के प्रभावी प्रशासन के लिए आवश्यक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्त करने के लिए अध्यक्ष या आयुक्त दोनों को, जैसा वे उचित समझे , अधिकृत कर सकते।

(3) उपपैराग्राफ (1) के अनुसार अध्यक्ष या आयुक्त द्वारा किए गए व्यय की सभी स्वीकृतियां तथा संभव शीघ्र स्वीकृति के पश्चात केन्द्रीय बोर्ड को सूचित की जाएगी।

6. **आयुक्त की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ** –आयुक्त की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ बजट की वित्तीय प्रावधान तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर किसी एक मद पर स्वीकृति के लिए दी गई शक्ति की सीमा के अधिक रहते हुए आयुक्त, केन्द्रीय बोर्ड को बिना संदर्भ किए बीमा निधि के प्रशासन के लिए आवश्यक तात्कालिकताओं के लिए , आपूर्ति तथा सेवाओं और वस्तुओं के क्रय के लिए स्वीकृत कर सकेगा।
7. **अंशदान – (1)** अधिनियम की धारा 6-सी की उपधारा (2) व (3) के अंतर्गत नियोक्ता और केंद्रीय सरकार द्वारा देय अंशदान की गणना मूल वेतन , महंगाई भत्ता (खाद्य राहत के नकद , मूल्य सहित) तथा प्रतिधारण भत्ता , यदि कोई हो , जो कि दैनिक, साप्ताहिक , पाक्षिक या मासिक आधार पर पूरे माह के लिए गया हो, के आधार पर की जाएगी। (परंतु , जहां किसी कर्मचारी का मासिक वेतन (पाँच हजार रुपए) से अधिक हो, तो नियोक्ता और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाने वाला अंशदान महंगाई भत्ता , रिटेनिंग अलाउंस , (यदि हो) तथा खाद्य राहत के नकद मूल्य सहित मासिक आधार पर देय (पाँच हजार रुपए) के वेतन तक सीमित रहेगा।)

(2) प्रत्येक अंशदान की गणना (निकटतम रुपए) मेन की जाएगी (50 पैसे या अधिक को अगला पूर्ण रुपया माना जाएगा तथा 50 पैसे से कम रुपए का भाग हटा दिया जाएगा)

8. **अंशदान के भुगतान का तरीका –** (1) अधिनियम की धारा 6- सी की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशासनिक प्रभारों सहित, नियोक्ता द्वारा देय अंशदान उसके द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद पंद्रह दिनों के अंदर-अंदर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीमा निधि मेन जमा कराया जाएगा। भुगतान संबंधी कोई भी खर्चा, यदि हो , तो वह नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

(2) नियोक्ता की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह सीधे अपने द्वारा नियोजित तथा किसी ठेकेदार के द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के लिए देय अंशदान वह स्वयं (नियोक्ता) जमा कराएं।

(3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा देय अंशदान बीमा निधि मेन यथा शीघ्र जमा कराएगा।

(4) नियोक्ता से प्राप्त ड्राफ्ट या चेकोण को आयुक्त भारतीय स्टेट बैंक या बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और संस्थानों के हस्तांतरण) अधिनियम , 1970 (1970 का 5 वां) की पहली अनुसूची में उल्लिखित किसी बैंक में जमा कराएगा।

8(ए) – किसी अंशदान के भुगतान में चूक करने पर क्षति की वसूली – (1) जहां कोई नियोक्ता बीमा निधि में कोई अंशदान या अधिनियम या इस योजना के किसी अन्य किसी प्रावधान के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के भुगतान में चूक करता है , तो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या केन्द्रीय सरकार के द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना के द्वारा प्राधिकृत अन्य ऐसा अधिकारी , नीचे लिखी दरों के हिसाब , जुर्माने के रूप में नियोक्ता से क्षति वसूल कर सकेगा:-

चूक की अवधि	क्षति की दर (बकाया का प्रतिशत वार्षिक)	
(ए)	दो माह से कम	सत्रह
(बी)	दो माह और अधिक किन्तु चार माह से कम	बाईस
(सी)	चार माह और अधिक किन्तु छः माह से कम	सत्ताईस
(डी)	छः माह और अधिक	सेंतीस

क्षति की गणना निकटतम रुपये मे की जाएगी, 50 पैसे या अधिक को निकटतम आगे का रुपया गिना जवेगा तथा रुपये का 50 पैसे से कम का भाग छोड़ दिया जावेगा |

[8 बी. क्षति में कमी या समाप्ती के नियम एवं शर्ते : निम्नलिखित शर्तो एवं नियमों के अधीन रहते हुये, अधिनियम की धारा 14 बी के द्वितीय परंतुक में उल्लेखित संस्थानों के संबंध में केंद्रीय बोर्ड धारा 14 बी के अंतर्गत लगाई गई क्षति को कम कर सकेगा या पूर्णतः समाप्त कर सकेगा –

(ए) कर्मचारियों के सहकारी (संघ) सहित किसी को भी संस्थान की व्यवस्था के हस्तांतरण करने के मामले में तथा किसी बीमार औद्ध्योगिक कंपनी को किसी अन्य औद्यौगिक कंपनी में शामिल किए जाने या एकीकरण किए जाने के मामले में, संपूर्ण क्षति को समाप्त किया जा सकेगा;
(बी) जहां औधेगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) अपनी योजना में विशेष कारणों से ऐसा अनुशंसित करता है, ऐसे मामलों में क्षति को शत-प्रतिशत तक समाप्त किया जा सकेगा; तथा
(सी) अन्य मामलों में, तथ्यों के आधार पर 50 प्रतिशत तक क्षति में कमी की जा सकेगी |]

9. नियोक्ता की जिम्मेदादियां - योजना के प्रारंभ से पन्द्रह दिनों के अंदर-अंदर प्रत्येक नियोक्ता, आयुक्त को, उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, इस योजना के प्रभावी होने की तारीख से पिछले वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष की समपप्ति के दिन विद्यमान बीमा योजना की संख्या, नाम, बीमा योजना में जमा शेष का उल्लेख करते हुए, उन सभी कर्मचारियों, जो बीमा योजना के पात्र हों व उसके सदस्य बनेंगे; का एक समेकित विवरण मय संस्थान के भविष्य निधि के नियमों के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी द्वारा दिए गए नामांकन पत्र की प्रमाणित प्रति के, भेजेंगे |]

प्रत्येक नियोक्ता, हर माह की समाप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर-अंदर उन कर्मचारियों की एक विवरणिका, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रपत्र 5 में, आयुक्त को भेजेगा, जो-
पिछले माह बीमा निधि के पहली बार सदस्य बनने के पात्र होंगे, मय पात्र ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वार दिये गये नामांकन पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के तथा
बी
जो पिछले माह यदि कोई भी कर्मचारी बीमा निधि का पहली बार सदस्य बनने का पात्र नहीं होता है या कोई भी कर्मचारी नियोक्ता की सेवायें नहीं छोड़ता है, तो, नियोक्ता शून्य विवरणिका देगा |
प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक माह की समाप्ति के पच्चीस दिनों के अंदर-अंदर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, आयुक्त को एक संक्षिप्त मासिक विवरणिका भेजेगा, जिसमें सापेक्ष रूप से सदस्यों को वह वेतन, जिस पर अंशदान देय हो तथा सभी सदस्यों के लिये नियोक्ता के अंशदान को दिखाया गया हो |
केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक नियोक्ता बीमा निधि में दिये जाने वाले अंशदान की राशियों का लेखा रखेगा ताकि यह प्रत्येक नियोक्ता की जिम्मेदारी रहेगी कि वह कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा या उसके प्राधिकार द्वारा स्वीकृत बीमा निधि में से भुगतान किये जाने के केंद्रीय बोर्ड की सहायता करे |

11. आयुक्त या निरीक्षक द्वारा अभिलेख तथा रजिस्टरों का निरीक्षण - आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी या निरीक्षक जब कभी भी चाहे, निरीक्षण के लिये नियोक्ता उनके समक्ष अभिलेख तथा रजिस्टर प्रस्तुत करेगा |

12. नियोक्ताओं को प्रपत्रों की आपूर्ति- आयुक्त, मांग किये जाने पर, उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में प्रपत्रादि जो इस योजना में संदर्भित है, बिना प्रभार (मूल्य) के नियोक्ताओं को आपूर्ति करेगा।

13. प्रशासन खाता – अधिनियम की धारा 6-सी की उपधारा (4) के अंतर्गत नियोक्ताओं और केंद्रीय सरकार से प्राप्त अंशदानों को " बीमा निधि, केंद्रीय प्रशासन खाता " के नाम से जाने, जाने वाले एक अलग खाते में जमा किया जाएगा तथा इस योजना के द्वारा या अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों के कहर्च के अलावा इस योजना के प्रशासन से संबंधित सभी व्यय इसी खाते में से किए जाएंगे।

14. जमा सहबद्ध बीमा निधि खाता – अधिनियम की धारा 6- सी की उपधारा (2) व (3) के अंतर्गत नियोक्ता के अंशदान तथा केंद्रीय सरकार की राशियों को "जमा सहबद्ध बीमा निधि खाता " के नाम से जाने वाले खाते में जोड़ा जाएगा तथा इस योजना के द्वारा या अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों के खर्च को इसी खाते में से वहन किया जाएगा।

15. बीमा निधि से संबंधित धन राशियों का विनियोजन (1) बीमा निधि से संबंधित 31 मार्च 1997 को जमा धन राशियों को केंद्रीय सरकार के "लोक लेखे " में जमा रखा जाएगा तथा केंद्रीय सरकार कम से कम 8.1/2 % वार्षिक की दर से ब्याज देगी |

(2) 1 अप्रैल, 1997 के वे उसके बाद बीमा निधि में अंशदान के रूप में जोड़े जाने वाले धन को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के अंतर्गत अधिसूचित विनियोजन पद्धति के अुसार विनियोजित की जाएगी |]

16. ब्याज- सभी ब्याज, किराया और अन्य प्राप्त आय तथा विनियोजनों के विक्रय से होने वाले लाभ या हानियां, यदि हो, जिसमें बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन खातों के लेन-देन शामिल नहीं होंगे, को बीमा निधि में यथा-संदर्भ जमा या खतौनी किये जाएंगे |

17. बीमा निधि का निष्पादन –(1) अधिनियम एवं इस योजना के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस योजना के प्रावधानों के अनुसर देय लाभों के भुगतान के अतिरिक्त बीमा निधि से, जिसमें

बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन खाता शामिल नहीं है, अन्य व्यय बिना केंद्रीय बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के नहीं किए जा सकेंगे |

(2) बीमा निधि ऐसे अधिकारियों द्वारा परिचालित होगी, जिनको केंद्रीय बोर्ड प्राधिकृत करेगी |

17. प्रशासन का खर्च–क्षेत्रीय समिति पर होने वाले व्यय सहित इस योजना के प्रशासन से संबंधित सभी व्यय ''बीमा निधि केंदीय प्रशासन निधि'' से किए जाएंगे |

19. लेखों के रख-रखाव के प्रपत्र एवं पद्धति–केंद्रीय बोर्ड अपने प्रशासनिक लेखों साहित आय और व्यय के समुचित लेखे फार्म नं.1 व फार्म नं.2 में, तथा बैलेंस शीट फार्म नं.3 में रखेगा | लेखे, वित्तीय वर्ष के बनाये जाएंगे तथा लेखा पुस्तकों का इतिशेष प्रत्येक वर्ष की इकत्तीस मार्च को निकाला जाएगा |

20. लेखा परीक्षण–(1) बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन वाले सहित बीमा निधि के खातों को लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा |

(2) लेखा परीक्षण के प्रसार बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन खाते से वहन किय जाएंगे |

21. बजट–(1) प्रत्येक वर्ष के पूर्व, फरवरी के प्रथम पक्ष में आयुक्त, केंद्रीय बोर्ड के समक्ष अनुमानित अंशदान प्राप्तियां, प्रशासनिक प्रभार प्राप्तियां तथा अनुगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित व्यय को अलग-अलग दिखाते हुए बजट प्रस्तुत करेगा |

(2) केंद्रीय सरकार बजट को स्वीकृत करने से पूर्व, जैसा उचित समझे, संशोधन कर सकती है |

(3) आयुक्त, केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत बजट में वर्ष के दौरान कभी भी, बजट के प्रावधानों का पुन: प्रावधन करे सकेगा, बशर्ते-

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत बजट की कुल रकम अधिक नहीं होती हो;

(ii) यह केवल ऐसे खर्चों के लिए ही किया गया हो जो, पैराग्राफ 18 के अनुसार बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन खाते से वहन करना आवश्यक हो; तथा

(iii) किया गया ऐसा प्रत्येक पुनर्व्रावधान, उसके द्वारा केंद्रीय बोर्ड को उसकी अगली बैठक में सूचित किया जाएगा |

(4) जो खर्चे उपपैराग्राफ (3) के अंतर्गत नहीं आते हों, तथा ऐसे खर्चे जो वर्ष के दौरान किए जाने अत्यावश्यक हों और जिनका प्रावधान स्वीकृत बजट में नहीं किया गया हो, उनका विवरण देते हुए आयुक्त वित्तीय वर्ष केा पूरक बजट केंद्रीय बोर्ड के समक्ष रखेगा | केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट को, केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के एक माह के अंदर-अंदर, केंद्रीय सरकार को स्वीकृती के लिए प्रस्तुत किया जाएगा |

(5) आयुक्त द्वारा वित्तीय-वर्ष के लिए स्वीकृत बजट से अधिक किया गया व्यय, जो उपपैरा (3) व (4) के अंतर्गत भी नहीं आता हो, का पता लगते ही, यथासंभव शीघ्र केंद्रीय बोर्ड को विचार के लिए तथा केंद्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सूचित करेगा |

21. बीमा लाभ की श्रृंखला तथा कर्मचारी द्वरा रखी जाने वाली न्यूनतम जमा शेष– (1) किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर, जो निधि का या अधिनियम की धार 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि का, तथा संदर्भ सदस्य हो, तो उसकी भविय निधि प्राप्त करने के अधिकारी (हकदार) व्यक्ति को, ऐसी जमाओं के अतिरिक्त मृतक के भविष्य निधि या अधिनियम की धार 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त निधि, यथा संदर्भ के खाते में पूर्वगामी बारह माह के या सदस्यतावधि के, जो भी कम हो, के औसत जमा राशि के बराबर और भुगतान की जाएगी, सिवाय ऐसे मामलों के जहां औसत शेष पच्चीस हजार रूपये से अधिक हो, ऐसे मामलों में देय रकम रूपये पैंतीस हजार की सीमा में रहते हुए रूपये पच्चीस हजार एवं रू.2500 से अधिक रकम का पच्चीस प्रतिशत होगी |

स्पष्टीकरण-1. निधि या अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि में जमा शेष का औसत निकालने के उद्देश्य के लिए निधि में सदस्य खाते में जमा शेष के संबंध में संबंधित अवधि का कर्मचारी तथा नियोक्ता का अंशदान, चाहे जमा कराया हो या नहीं कराया हो- मय उस पर ब्याज के शामिल होगा |

स्पष्टीकरण-2. योजना के अंतर्गत लाभों की गणना के लिए (बारह माह) की अवधि उस माह से गिनी जाएगी, जो सदस्य की मृत्यु माह का पूर्वगामी होगा |

(2) अंशकालीन कर्मचारियों के मामलें में जो एक से अधिक करखाने या संस्थान में सेवा करते हुए निधि (या अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि, यथा प्रसंग,) का सदस्य था, इस योजना के अंतर्गत परिलाभों की मात्रा उसके सभी निधि (या अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि, संदर्भ,) खातों के जोड़ के पूर्वगामी (बारह माह के) औसत के आधार पर निर्धारित की जाएगी |

23. बीमा परिलाभ किसे देय है–(1) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत ''(या अधिनियम की धार 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि के अंतर्गत, तथा संदर्भ में,) किया गया नांमांक इस योजना के अंतर्गत नामांकन माना जाएगा तथा बीमा की राशियां ऐसे नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों को देय होंगी |

(2) यदि नामांकन नहीं हो या यदि नामांकन निधि ''(या अधिनियम की धार 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि, यथा संदर्भ,) में जमा राशियों के किसी भाग के लिए ही हो, तो सभी या उसका भाग, जिसके निए नामांकन नहीं हो, परिवार के सभी सदस्यों को समान भागों में देय होगा :

परंतु

(ए) वयस्कता की उम्र प्राप्त कर चुके पुत्र;

(बी) मृत पुत्र के वयस्क पुत्र;

(सी) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों;

(डी) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों;

को कोई हिस्सा देय नहीं होगा, यदि उपरोक्त खंड ए, बी, सी, डी, में उल्लिखित के अलावा परिवार को अन्य सदस्य हो :

पुन: मृत की विधवा या विधवाओं, तथा उसके बच्चों को उसी राशि भाग में समान भाग मिलेगा जो मृत पुत्र को सदस्य की मृत्यु के समय जीवित होने व वयस्कता की उम्र प्राप्त नहीं करने की दशा में मिलता |

(3) ऐसे मामलों में जहां उपपैराग्राफ (1) व (2) के प्रावधान लागू नहीं होते, तो वे संपूर्ण राशियां इसके लिए कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति को देय होगी |

(4) उपपैराग्राफ 1, 2, या 3 की शर्तों के अनुसार मृतक सदस्य के जीवन बीमा लाभों को प्राप्त करने का पात्र कोई भी व्यक्ति, यदि सदस्य की हत्या करने या ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने को अभियुक्त है, तो उसके बीमा लाभ प्राप्त करने के दावे का निपटारा तब तक निलंबित रखा जाएगा, तब तक कि उसके विरूद्ध प्रारंभ की गई अपराधिक कार्यवाही का निर्णय नहीं हो जाता | यदि, आपराधिक कार्यवाही के निर्णय पर संबंधित व्यक्ति-

(ए) सदस्य की हत्या करने या हत्या के लिए उकसाने का अपराधी पाया जाए तो वह जमा सहबद्ध बीमा लाभ पाने का अधिकारी नहीं होगा, अपितु, वह मृतक सदस्य के परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को, यदि कोई हो, देय होंगे; या

(बी) सदस्य की हत्या करने या हत्या के लिए उकसाने के अपराध से निरपराध पाया जाए तो, उसका हिस्सा उसे देया होगा |

स्पष्टीकरण – इस पैराग्राफ के उद्देश्य के लिए कर्मचारी का मृत्यु पश्चात् जन्मा बच्चा, यदि जीवित पैदा, होता है, उसकी मृत्यु के पूर्व जन्में बच्चे के समान उत्तराधिकारी माना जाएगा |

24. बीमा राशियां- किस प्रकार भुगतान किया जाएगा – (1) इस योजना के अंतर्गत भुगतान प्राप्त करने के लिए आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दावेदार लिखित आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से आयुक्त को भेजेंगे।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसे इस योजना के अंतर्गत भुगतान किया जाना है, तो भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के ऐसा व्यक्तियों को भुगतान संबंधी प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा |

(3) जिसे भुगतान किया जाता है, उसकी इच्छानुसार-

(i) मनिऑर्डर द्वारा, या

(ii) किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी बैंक [नागरिक (अरबन) सहकारी बैंक सहित] या किसी डाक घर में प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में जमा करवा कर; या

(iii) प्राप्तकर्ता के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सवधि जमा योजना में (पूर्ण या आंशिक राशियां) जमा करवा कर, या

(iV) नियोक्ता के माध्यम से,

भुगतान किया जा सकता है |

[(4) सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किये गये सभी दृष्टियों से पूर्ण दावों (क्लेमों) को आयुक्त द्वारा प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर निपटा दिए जाएंगे तथा प्राप्तकर्ताओं को लाभों की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा | यदि दावें में कोई कमी हो तो उसे लिखित में दर्ज की जाएगी तथा उस दावे की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनांक े अंदर-अंदर उनके बारे में दावेदार को

सूचित किया जाएगा | सभी तरह से पूर्ण दावे को बिना समुचित कारण के 30 दिनों के अंदर-अंदर निपटाने में आयुक्त असफल होता है तो उक्त अवधि से आगे विलंब के लिए आयुक्त जिम्मेदार होगा तथा देय राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से दंड ब्याज लगाया जाएगे तथा वह आयुक्त के वेतन से काटा जा सकता है |]

25. रजिस्टर, अभिलेख आदि – केंद्रीय बोर्ड की स्वीकृति से, आयुक्त कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले रजिस्टर व अभिलेख, परिचय पत्र की आकृति या प्रपत्र, किसी कर्मचारी या इस योजना के अंतर्गत परिलाभ प्राप्त करने के हकदार नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों या परिवार के सदस्य का परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से टोकन या डिस्क तथा अन्य आवश्यकताएं, जो उक्त परिलाभों के भुगतान के लिए पूर्ण करनी आवश्यक हो, का निर्धारण कर सकेगा, बशर्ते, जैसा उचित समझे, समयबद्ध सत्यापन किय जाएगा |

26. योजना की गतिविधियों की वार्षिक रपट– केंद्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष के दैरान इस योजना की गतिविधियों की रपट (10 दिसंबर) से पहले अनुमोदित करेगा तथा (20 दिसंबर) के पहले केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा |

(27.xXX)

28. ऐसी संस्थान जिनके संबंध में इस योजना के प्रावधानों से छूट के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हो, से संबंधित विशेष प्रावधान –(1) (i) ऐसे कर्मचारी, जिस पर यह योजना लागू हो, से आवेदन प्राप्त होने पर, आयुक्त, आदेश देकर, आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन, इस योजना के सभी या किन्हीं प्रावधानों के लागू किए जाने से कर्मचारी को छूट दे सकेगा :

परन्तु, ऐसा कर्मचारी कारखाने या संस्थान के नियमों के अनुसार बिना कोई अलग से अंशदान या प्रीमियम दिए, जीवन बीमा की प्रकृति के लाभों का हकदार हो, चाहे, वह भविष्य निधि जमा से संबद्ध हो या न हो, तथा ऐसे परिलाभ इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध परिलाभों से अधिक लाभदायक हों |

(ii) उपरोक्तानुसार, जहां किसी कार्मचारी को छुट दी गई हो, ऐसे कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता आयुक्त द्वारा निर्धारित अनुसार लेखे रखेगा, विवरणिकायें प्रस्तुत करेगा, निरीक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवायेगा तथा केंद्रीय सरकार जैसा निर्देश दे, प्रशासनिक प्रभार जमा कराएगा और विनियोजन करेगा |

(2) उपपैराग्राफ (1) के अंतर्गत छूट प्राप्त कोई कर्मचारी, आयुक्त को आवेदन पत्र देकर आवेदन कर सकेगा कि इस योजना के लाभ उस पर लागू किए जाए |

(3) कोई भी कर्मचारी प्रत्येक खाते पर एक बार से अधिक छूट प्रदान किए जाने व छूट प्राप्ति से बाहर आने का हकदार नहीं होगा |

(4) (i) इस योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचरियों की श्रेणी को उनसे आवेदन प्राप्त होने पर, (केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त) ओदश देकर, आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन इस योजना के सभी या किन्हीं प्रावधानों के लागू किए जाने से छूट प्रदान कर सकेगा :

परंतु, कर्मचारियों की ऐसी श्रेणी कारखाने या संस्थान के नियमों के अनुसार बिना कोई अलग से अंशदान या प्रीमियम दिए जीवन बीमा की प्रकृति के लाभों का हकदार हो, चाहे वाह भविष्य निधि जमा से संबद्ध हो या न हो तथा ऐसे परिलाभ इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध परिलाभों से अधिक लाभदायक हों |

(ii) उपरोक्तानुसार, जहां कर्मचारियों के किसी वर्ग को छूट दी गई हो, ऐसे कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता, केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार लेखे रखेगा, विवरणिकाएं प्रस्तुत करेगा, निरीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, निरीक्षरण प्रभार जमा कराएगा तथा निर्देशित प्रक्रियानुसार विनियोजन करेगा |

(5) उपपैराग्राफ (4) के अंतर्गत छूट प्राप्त कर्मचारियों की श्रेणी का बहुमत आयुक्त को आवेदन पत्र देकर आवेदन कर सकेगा कि इस योजना के लाभ उन पर लागू किए जाएं |

(6) कर्मचारियों की कोई भी श्रेणी अपने प्रत्येक खाते पर एक बार से अधिक छूट प्रदान किए जाने व छूट प्राप्ति से बाहर आने की हकदार नहीं होगी |

(7) इस योजना में अन्यथा अन्य प्रावधानों के बावजूद, किसी करखाने या संस्थान के संबंध में अधिनियम की धारा 17 (2-ए) के अंतर्गत छूट का आवेदन प्राप्त हुआ हो, आयुक्त इस योजना के प्रावधानों से तब तक के लिए सामयिक राहत प्रदान कर सकेगा जब तक कि आवेदन का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता |

29. विवरणिकाएं आदि प्रस्तुत करने में असफल होने पर सजाएं :- यदि काई व्यक्ति-

(ए) नियोक्ता के अंशदान को संपूर्ण या उसका कोई भाग सदस्य के वेतन या अन्य भुगतान से काटता है या काटने का प्रयास करता है; या

(बी) इस योजना द्वारा आवश्यक विवरणिका, विवरण या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल होता है या मना करता है या मिथ्या रिटर्न, विवरण या अन्य दस्तावेज प्रसतुत करता है या मिथ्या घोषणा करता है; या

(सी) अधिनियम या योजना के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक या अन्य कर्मचारी को उसके कार्य निर्वहन में बाधा डालता है या ऐसे निरीक्षक या अन्य कर्मचारी द्वार निरीक्षण के लिए कोई भी अभिलेख (रिकार्ड) प्रस्तुत करने में असफल होता है; या

(डी) इस योजना की किसी अन्य आवश्यकता की अनुपालना का दोषी है, तो वह एक वर्ष तक बढ़ाए जा सकने वाले कारावास या चार हजार रूपए तक बढ़ाए जा सकने वाले अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकेगा |